"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2011—श्रावण 7, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद फिरोज खान पिता श्री दरबारी लाल, जाति -धोबी, आयु-31 वर्ष, निवासी -ग्राम-कुकदुर, पो. आ.-कुकदुर, तह. पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम श्रीकान्त रजक अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना नाम मोहम्मद फिरोज खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे मोहम्मद फिरोज खान पिता श्री दरबारी लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीकान्त रजक पिता-श्री दरबारी लाल निवासी-ग्राम- कुकदुर पो. -कुकदुर, तह. पंडरिया जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	मोहम्मद फिरोज खान पिता-श्री दरबारी लाल निवासी-ग्राम-कुकदुर पो. - कुकदुर, तह. पंडरिया जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, जिला-दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2011

प्रारूप क्रमांक-4
[देखिये नियम-5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक /1370/प्र. 2/अ. वि. अ./2011.— यत: कि श्री मुरारीलाल अग्रवाल मैनेजिंग ट्रस्टी निवासी सेक्टर-11 जोन-2 पुराना खुसीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग द्वारा " जय बाबा श्री रामेश्वर दास जी महाराज धार्मिक परमार्थ ट्रस्ट, कार्यालय शाप नं. 15, सेक्टर-11, जोन-2 पुराना खुसीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग" के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 28-07-2011 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	जय बाबा श्री रामेश्वर दास जी महाराज धार्मिक परमार्थ ट्रस्ट, कार्यालय शाप नं. 15, सेक्टर-11, जोन-2 पुराना खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग.
2.	चल संपत्ति	:	11000-00/- रुपये नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2011

प्रारूप क्रमांक-4
[देखिये नियम-5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक /1372/प्र. 2/अ. वि. अ./2011.— यत: कि श्री अरविन्द जैन मैनेजिंग ट्रस्टी निवासी 43 नेहरूनगर पूर्व भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा "छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स एकेडमी, सत्यम, शिवम, सुन्दरम, दीपकनगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग" के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30)

की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 28-07-2011 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स एकेडमी, सत्यम, शिवम, सुन्दरम, दीपकनगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग
2.	चल संपत्ति	:	11000-00/- रुपये नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

क्यू. ए. खान,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/1122.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/1002 बिलासपुर, दिनांक 14-05-2008 के तहत् दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, हरदी, पं. क्र. 3725 दिनांक 18-04-1996, विकासखण्ड-लोरमी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-लोरमी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 11-07-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/1120.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/1014 बिलासपुर, दिनांक 15-05-2008 के तहत् दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, फुलवारीकला, पं. क्र. 3839 दिनांक 01-03-1997, विकासखण्ड-लोरमी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-लोरमी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/ सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 11-07-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/1121.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/938 बिलासपुर, दिनांक 6-05-2008 के तहत् दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, चन्दरपुर, पं. क्र. 3733 दिनांक 18-04-1996, विकासखण्ड-लोरमी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-लोरमी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/ सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 11-07-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.